<u>महत्वपूर्ण</u>

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:294 / 1–18–2023 / क0सेल / 10 / 2004टी0सी03 दिनांक: 17 मार्च, 2023

विषयः प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं0–207 / 1–18–2021 / क0सेल / 10 / 2004 टी0सी03, दिनांक 01.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें परिषदादेश सं0–228 / 1–18–2018 / क0सेल / 10 / 2004 टी0सी02, दिनांक 27.06.2018 में कतिपय संशोधन करते हुए तहसील कम्प्यूटर केन्द्र, समस्त मण्डलायुक्त न्यायालय एवं जिलाधिकारी न्यायालय हेतु अनुमन्य जनशक्ति एवं अधिकतम व्यय सीमा के संबंध में सम्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2– सूच्य है कि वर्तमान में राजस्व विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाएं यथा 19 कॉलम की रियल टाईम खतौनी तैयार किया जाना, आन लाईन खसरा फीडिंग आदि का कार्य गतिमान है। राजस्व विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं के दृष्टिगत कार्यहित में सम्यक् विचारोपरान्त परिषदादेश सं0– 228 / 1–18–2018 / क0सेल / 10 / 2004 टी0सी02, दिनांक 27.06.2018 प्रस्तर–2 के उप बिन्दु संख्या–2.2.1 में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है–

<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>परिषदादेश सं0– 228 / 1–18–2018 / क0सेल / 10 / 2004 टी0सी02, दिनांक 27.06.2018 का प्रस्तर–2.2.1 (यथासंशोधित परिषदादेश दिनांक 01.02.2021 द्वारा)</th><th>संशोधन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>(क)</td><td>(क)</td></tr>
</table>

(क) परिषदादेश दिनांक 27.06.2018 (यथासंशोधित):

विवरण	तहसील श्रेणी			
	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3	श्रेणी–4
तहसील कम्प्यूटर केन्द्र पर कम्प्यूटराईजेशन कार्य की आवश्यकतानुसार आउटसोर्सि	अधिकतम् रू0 एक लाख (1,00,000 /–) प्रति माह	अधिकतम् रू0 एक लाख (1,00,000 /–) प्रति माह	अधिकतम् रू0 पचास हजार (50,000 /–) प्रति माह	अधिकतम् रू0 पचास हजार (50,000 /–) प्रति माह

(क) संशोधन:

विवरण	तहसील श्रेणी			
	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3	श्रेणी–4
तहसील कम्प्यूटर केन्द्र पर कम्प्यूटराईजेशन कार्य की आवश्यकतानुसार आउटसोर्सि	अधिकतम् रू0 एक लाख (1,00,000 /–) प्रति माह	अधिकतम् रू0 एक लाख (1,00,000 /–) प्रति माह	अधिकतम् रू0 एक लाख (1,00,000 /–) प्रति माह	अधिकतम् रू0 एक लाख (1,00,000 /–) प्रति माह

	ग पर तकनीकी जनशक्ति सेवा क्रय हेतु	ग पर तकनीकी जनशक्ति सेवा क्रय हेतु
	उक्त परिषदादेश में तहसीलों की श्रेणियां निम्नवत् रहेंगी– श्रेणी–1 प्रतिदिन औसतन 300 से अधिक उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें। ◦ श्रेणी–2 प्रतिदिन 200 से 300 उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें। ◦ श्रेणी–3 प्रतिदिन 100 से 200 उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें। ◦ श्रेणी–4 प्रतिदिन औसतन 100 से कम उद्धरण जारी करने वाली तहसीलें।	उक्त परिषदादेश में तहसीलों की श्रेणियां निम्नवत् रहेंगी– श्रेणी–1 प्रतिदिन औसतन 300 से अधिक उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें। ◦ श्रेणी–2 प्रतिदिन 200 से 300 उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें। ◦ श्रेणी–3 प्रतिदिन 100 से 200 उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें। ◦ श्रेणी–4 प्रतिदिन औसतन 100 से कम उद्धरण जारी करने वाली तहसीलें।
	(ख) श्रेणी–1 व 2 की तहसीलों हेतु अधिकतम् 04 मैनपावर व श्रेणी–3 व 4 की तहसीलों हेतु अधिकतम् 02 मैनपावर सेवा (कार्य की आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पर) रखा जा सकता है।	(ख) **कार्य की आवश्यकतानुसार समस्त श्रेणियों की तहसीलों में अधिकतम् 04 मैनपावर सेवा (आउटसोर्सिंग पर) रखा जा सकता है। कार्य की आवश्यकता एवं तहसील प्रयोक्ता प्रभार मद की वित्तीय स्थिति के अनुसार कार्ययोजित किये जाने हेतु आवश्यक मैनपावर की संख्या का परीक्षण एवं निर्धारण समय–समय पर संबंधित जनपद की जिला प्रयोक्ता प्रभार समिति द्वारा किया जायेगा।**
	(ग) तहसील कम्प्यूटर केन्द्र पर कम्प्यूटराईजेशन कार्य की आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पर प्रति तकनीकी जनशक्ति सेवा क्रय हेतु अधिकतम रूपये 25,000/–का व्यय किया जायेगा।	(ग) तहसील कम्प्यूटर केन्द्र पर कम्प्यूटराईजेशन कार्य की आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पर प्रति तकनीकी जनशक्ति सेवा क्रय हेतु अधिकतम रूपये 25,000/–का व्यय किया जायेगा।
	(घ) यह कार्य परिषदादेश संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 के अनुसार किया जायेगा।	(घ) यह कार्य परिषदादेश संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 के अनुसार किया जायेगा।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव